फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

गार्थी : श्री चमना बनाम विपक्षी : श्री डालु व अन्य

केस्म मुकदमा – धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 372/21

क्रमांक — कार्यवाही विवरण

दिनांक 03.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार वादग्रस्त परिशिष्ट (क) व (ख) में वादी संख्या 1 हिस्से अनुसार खातेदार है तथा परिशिष्ट (ग) व (घ) में वादी संख्या 2 खातेदार है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण खातेदार होकर आधिपत्यधारी है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में हक, हिस्सा, अधिकार नहीं है। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयत को जबरन हड़पना चाहते है व वादीगण को बेदखल करना चाहते है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया तथा अनुपस्थित रहे। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र पीडब्लू–1 चम्पालाल पुत्र चमना, शपथ पीडब्लू–2 पोखर पुत्र उंकार का पेश किया गया तथा दस्तावेत के रूप में जमाबंदी प्रदर्श–1 से प्रदर्श–4 कराई।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। हमने जमाबंदी प्रदर्श–1 से प्रदर्श–4 से पाया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण खातेदार है। वादीगण द्वारा कथन कहा की प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल करने पर उतारू है। वादग्रस्त भूमि में वादग्रस्त आराजीयात में वादी खातेदार है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी खातेदार होने से वादी का हित निहीत हैं जिससे प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है तथा वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर की परिशिष्ट (क) की आराजी न. 541, 545, 546, 548/2 कुल किता 4 रकबा 01 बिघा 16 बिस्वा भूमि, परिशिष्ट (ख) की आराजी संख्या 542 रकबा 09 बिस्वा भूमि, परिशिष्ट (ग) की आराजी संख्या 529, 530, 531/1, 531/2, 533, 534 किता 06 रकबा 02 बिघा 14 बिस्वा भूमि, परिशिष्ट (घ) की आराजी संख्या 543 रकबा 05 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल नहीं करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:22:12 IST
Reason: SelfAttested